

Arrears of Taxes Against Begum of Rampur

(d) if so, with what results ?

5019. SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the quantum of arrears of demands outstanding against Begum Aftab Zamani of Rampur under the Income-tax Act, Wealth-Tax Act, Expenditure-Tax Act, Gift-Tax Act and the Estate Duty Act ;

(b) the period for which the arrear demands have been outstanding and the steps taken for recovery of the tax arrears ;

(c) whether any recovery/attachment proceedings have been initiated against the Begum ; and

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). The requisite information in respect of Aftab Financing Corporation which is the Proprietary concern of H. H. Begum Aftab Zamani of Rampur is given in the enclosed statement which is laid on the Table of the House.

(c) and (d). As mentioned in the statement laid on the Table of the House, steps have been initiated for recovery and jewellery of adequate value claimed as belonging to her has been impounded under Section 132(3) of I. T. Act, 1961.

Statement

Assessment Year	Nature of Income-tax demand	Amount outstanding	Period since which outstanding	Steps taken for recovery of tax arrears
		Rs.		
1961-62	Penalty under section 271(1)(c)	500	—	Steps have been initiated for recovery and jewellery of adequate value claimed as belonging to her has been impounded under Section 132(3) of I.T. Act, 1961.
1961-62	Interest under section 220(2)	53	20.4.1969	
1963-64	Regular	1,249	—	
1964-65	Regular	3,250	24.3.1969	
1964-65	Interest under section 220(2)	270	—	
1964-65	Penalty	4,307	3.10.1969	
1964-65	Penalty under section 271(1)(a)	158	15.4.1971	
		9,787		

Wealth Tax

Nil

Gift Tax, Expenditure Tax & Estate Duty

Nil

डा० भगवान दास स्मारक न्यास, नई दिल्ली के निदेशक द्वारा आयकर की अदायगी न करना

5020. श्री अम्बेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० भगवान दास स्मारक न्यास, 2 एफ०, लाजपत नगर, नई दिल्ली के निदेशक, श्री कुमारपाल द्वारा आयकर की अदायगी नहीं करने अथवा कम अदायगी के बारे में आयकर आयुक्त, नई दिल्ली की सिकायत भेजी गई थी ;

(ख) क्या कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी श्री कुमारपाल के बारे में निरीक्षण-निदेशक (अन्वेषण), नई दिल्ली और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली को शिकायतें भेजी हैं ;

(ग) क्या इन शिकायतों के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

बिस्व मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । कार्यवाही की गई थी ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली स्थित, डा० भगवान दास
मैमोरियल ट्रस्ट के विरुद्ध रसीदी
टिकट न लगाने के सम्बन्ध
में शिकायत

5021. श्री अम्बेश : क्या बिस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण, दिल्ली की यह शिकायत प्राप्त हुई है कि डाक्टर भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, 2 एफ, लाजपत नगर नई दिल्ली द्वारा, 20 रुपये से अधिक घनराशि की रसीदों पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती ;

(ख) क्या ऐसी 50 रसीदें, जिन पर रसीदी टिकट नहीं लगाई गई थी, दिल्ली स्टाम्प कलेक्टर को भेजी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त ट्रस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

बिस्व मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) टिकट समाह्वर्ता, दिल्ली के कार्यालय में चवाकीस रसीदें इस शिकायत के साथ प्राप्त हुई थीं कि इन रसीदों पर 10 पैसे के रसीदी टिकट नहीं लगे हुए हैं ।

(ग) इन 'रसीदों' के प्राप्त होने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के खंड 62 के उपखंड (1) के अनुच्छेद (ख), जो कि बिना उपयुक्त टिकट लगे दस्तावेजों के निष्पादन आदि के लिए दिए जाने वाले दंड से सम्बन्धित है, के अधीन भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे । अन्ततः न्यास के महा मंत्री की प्रार्थना पर जो कि स्वयं उपस्थित हुए थे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के खंड 70 के उपखंड (2) के अधीन 44 में से 43 रसीदों में से प्रत्येक पर 3 रुपये लेकर, इस अपराध के बारे में राजीनामा कर लिया गया । 20 रुपये की एक रसीद पर टिकट लगाया जाना आवश्यक नहीं था और इसलिए उसे, शिकायतकर्ता को, कानूनी स्थिति समझाते हुए वापिस कर दिया गया ।

Scheme for Development of Mahabalipuram and Nilgris as Tourist Centres

5022. SHRI S. RADHAKRISHNAN :
SHRI C. CHITTIBABU :
SHRI R. P. ULAGANAMBI :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have received a scheme of Rupees One crore from the Tamil Nadu Government for developing the historical place 'Mahabalipuram' and the Hill Station 'Nilgris', as centres of tourist attraction ;

(b) if so, the broad outlines of the scheme and the estimated amount of expenditure under this scheme ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION : (DR. KARAN SINGH) :
(a) Yes, Sir.